

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक प.1(1)चिस्वा/2/2017

जयपुर, दिनांक : 26.07.2017

आदेश

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के निम्नांकित अधिकारी जो निदेशालय में आदेशों की प्रतीक्षा में दल रहे हैं, के पदस्थापन उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थानों पर तुरन्त प्रभाव से किये जाते हैं:-

| क्र. सं. | नाम अधिकारी | वर्तमान पदस्थापन | नवीन पदस्थापन | विशेष विवरण |
|----------|---|-------------------------|---|-------------|
| 1 | डा. रामप्रसाद चौधरी, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी | आदेशों की प्रतीक्षा में | सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, चौहटन, बाडमेर | रिक्त पद पर |
| 2 | डा. जफ़ीर अहमद, चिकित्सा अधिकारी, 2011 | आदेशों की प्रतीक्षा में | मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झालावाड के अधीन | |
| 3 | डा. मोरध्वज गुर्जर, चिकित्सा अधिकारी, 2011 | आदेशों की प्रतीक्षा में | जिला चिकित्सालय, भरतपुर | रिक्त पद पर |
| 4 | डा. अंजना मीना, चिकित्सा अधिकारी, 2005 | आदेशों की प्रतीक्षा में | सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बहरावन्डा खुर्द, सवाई मधोपुर | रिक्त पद पर |

राज्यपाल की आज्ञा से,

(पारस चन्द जैन)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1- विशिष्ट सचिव, मा. चिकित्सा मंत्री महोदय/भा. राज्यमंत्री महोदय।
- 2- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
- 3- निदेशक (जन स्वास्थ्य), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर।
- 4- संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोधपुर/कोटा/भरतपुर
- 5- प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय, भरतपुर
- 6- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बाडमेर/झालावाड/सवाई मधोपुर
- 7- संबंधित अधिकारी
- 8- कम्प्यूटर सेल
- 9- निजी /रक्षित पत्रावली

(मोहन लाल वर्मा)
शासन सहायक सचिव

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान जयपुर।

क्रमांक: संस्था/चि0अ0/एटी/प.02/2017/268

दिनांक : 28/07/17

नोट:- उपरोक्त चिकित्सकों को आज मध्याह्न पश्चात कार्यमुक्त किया जाता है।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. शासन उप सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग (ग्रुप-2), राजस्थान जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन सम्बन्धित।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/प्रमुख चिकित्सा अधिकारी सम्बन्धित।
4. सम्बन्धित चिकित्सकों को पालनार्थ।
5. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त पत्र को आज ही विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावे।
6. आदेश/रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक (राजपत्रित),
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान जयपुर।